राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.17(17) शिक्षा–2/2022–00737 **दिनांक :**

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके निम्न वरीयता वाले अभ्यर्थियों के पश्चात नियुक्त करने पर उच्च वरीयता वाले कार्मिकों को वरिष्ठता, वेतन स्थिरीकरण, वार्षिक वेतनवृद्धि, एसीपी एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/नोशनल/को.के./2022 दिनांक 31.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग से प्राप्त राय/मार्गदर्शन की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग से प्राप्त राय/मार्गदर्शन के क्रम में आगामी कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीण कुमार लेखरा)
संयुक्त शासन सचिव

NOTIONAL PAY - चयन में सीनियर का नियुक्ति आदेश तथा जॉइनिंग बाद में होने पर भी उन्हें वेतन, वरिष्ठता, वेतन वृद्धियां, एसीपी उनके समकक्ष जूनियर की जोइनिंग तिथि से दिए होंगे।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जानकारी के लिए प्रसारित

Scanned with OKEN Scanner

डायरी संख्या

रा.सं. 2

प.17(17)शिक्षा–2/2022
आई डी 2601/2022

26 पैरा 17–25/एन के क्रम में प्रशासनिक विभाग को स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 5/एन में वर्णित बिन्दुओं में उल्लेखित वेतन/वेतन वृद्वि/ए.सी.पी वित्त विभाग का विषय है तथा वरष्ठिता एवं पदोन्नति के संबंध में बिन्दुवार स्थिति निम्नानुसार है:–

1. वरीयता परिवर्तन के आधार पर पूर्व में कनिष्ठ कार्मिक का उच्च वरीयता में चयन होने पर उसकी वरीयता आयोग की मेरिट सूची के अनुसार होगी तथा कनिष्ठ कार्मिक का उच्च वरीयता में चयन होने पर, वरिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना कनिष्ठ के समान इस शर्त पर की जायेगी कि विलम्ब से कार्यग्रहण किये जानें में कार्मिक का दोष नहीं था तथा उसने माननीय न्यायालय के निर्णय के कम में कार्यग्रहण किया गया था, की सुनिश्चतता स्वयं विभाग अपने स्तर पर करेगा।
2. वरीयता परिवर्तन के आधार पर कनिष्ठ वरीयता के कार्मिक का उच्च वरीयता में परिवर्तन हो जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक की परीवीक्षा अवधि नियमानुसार 2 वर्ष होगी।।
3. वित्त विभाग से संबंधित है।

27 यह कार्मिक विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

15/12/2022

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

AS

1/12

ID-2601/DoP/A2/22
15-12-2022

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जानकारी के लिए प्रसारित

डायरी संख्या

रा.सं. 2

39. शिक्षा विभाग से प्राप्त ऑनलाईन पत्रावली संख्या प. 17(17)–2/2022–00737 के अनु. 28–38/एन एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/नोशनल/को.के/2022 दिनांक 31.03.2022 के क्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च वरियता प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके निम्न वरियता वाले अभ्यर्थियों के पश्चात नियुक्त करने पर उच्च वरियता वाले कार्मिको को वरिष्ठता, वेतन स्थरीकरण, वार्षिक वेतनवृद्धि, एसीपी व अन्य सेवा लाभ प्रदान किये जाने के प्रकरण का परीक्षण वित्त विभाग की पत्रावली संख्या प.1(2)वित्त/नियम/2016 पर किया गया।

40. प्रकरण के तथ्यों एवं विभाग के प्रस्ताव के क्रम में प्रशासनिक विभाग को परामर्श दिया जाता है कि कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठ कार्मिकों से पहले राजकीय सेवा में कार्यग्रहण कराने के कारण वरिष्ठ कार्मिकों एवं कनिष्ठ कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने हेतु ऐसे वरिष्ठ कार्मिक जिनके नियुक्ति आदेश उनसे कनिष्ठ कार्मिक के पश्चात जारी किये गये है उस वरिष्ठ कार्मिक का वेतन उनसे निकटतम कनिष्ठ कार्मिक (वरिष्ठता सूची अनुसार) के कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक आधार (Notional basis) पर किये जाने तथा वास्तविक लाभ वरिष्ठ कार्मिक के द्वारा पद पर कार्यग्रहण दिनांक से देय किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है।

41. यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

10/5/23

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I,
वित्त (नियम) विभाग

<u>अतिरिक्त मुख्य सचिव,</u>
<u>स्कूल शिक्षा</u>

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जानकारी के लिए प्रसारित